58/2016 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 58/2016 अनवानी मेघराज पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल बनाम 3 ए.एस. गुडली तहसील सूरतगढ बनाम 1–पालाराम पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी 3 ए.एस. गुडली तहसील सूरतगढ 2–महेन्द्र 3–सुलोचना 4–कुन्ती 5–तहसीलदार सूरतगढ 6–उपपंजियक सूरतगढ

27.02.2017

प्रार्थी के अभिभाषक श्री बलराम स्वामी उपस्थित है। अप्रार्थी पालाराम के अभिभाषक श्री विक्रम बिश्नोई उपस्थित है। दोनो पक्षो के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अप्रार्थी के अभिभाषकगण श्री विक्रम बिश्नोई का कथन है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ में लम्बित वाद अनवानी पालाराम बनाम महेन्द्र राम आदि मय प्रार्थना पत्र 212 आरटीए अनवानी पालराम बनाम महेन्द्रराम आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थी के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ में लम्बित वाद अनवानी पालाराम बनाम महेन्द्र राम आदि मय प्रार्थना पत्र 212 आरटीए अनवानी पालराम बनाम महेन्द्रराम आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए अब यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 27.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर